प्रेस नोट दिनांक- 11.10.2025

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध आतिशबाज़ी भंडारण एवं विक्रय पर उदयपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही – अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर (IPS) के निर्देशन में दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाज़ी पटाखों के अवैध भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 10.10.2025 को थाना उदयपुर पुलिस टीम उ0नि0 श्री सत्यम तिवारी मय हमराह हे0 का0 बहाबुद्दीन, म0 आ० मीनू यादव द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्यवाही की गई।

भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे लीला मोड, कुम्भीआइमा में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में अवैध रूप से आतिशबाज़ी पटाखों का निर्माण तथा घर में अवैध भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, जहाँ सलमान पुत्र स्वर्गीय लल्लू निवासी कुंभी आईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष अपने घर में आतिशबाज़ी पटाखों का निर्माण व भण्डारण करता हुआ पाया गया ।

मौके पर तलाशी लेने पर अवैध आतिशबाज़ी सामग्री बरामद हुई, जिसमें —
1 - 01 बोरी प्लास्टिक की बोरी में लगभग 400 पीस गट्टा(पटाखा) निर्मित बारूद भरा हुआ ,
2 - पटाखा निर्माण में प्रयोग की जाने वाली बाती 100 पीस ,
3 -खाली अनार का घड़ा 20 पीस
4 -आकाश आवाजा भरने वाला 250 फायर का सेट 01 पीस

अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0-154/25 धारा 125 BNS व 5/9 (ख) 1 (क) विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस प्रशासन जनपदवासियों से अपील करता है कि अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित एवं कानूनन दण्डनीय है। ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी सफलता—
01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मो0 साइकिल सुपर स्पलेंडर बरामद

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम- भुपिया मऊ, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर गई थी कि दिनांक 04.10.2025 को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से मोटरसाइकिल चोरी गई है । इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 498/25, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उक्त प्रकरण में सा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी गए वाहन की बरामदगी हेतु लगातार गश्त, मुखबिरों की सूचना एवं सर्विलांस के माध्यम से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप,का0 शिवम कुमार,का0 रंजीत यादव, का0 सचिन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 498/25, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त मो॰ साहिल पुत्र मो0 समीम निवासी सराय सुहागा फरीदीपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 21 वर्ष को 01 अदद चोरी की मो0 साइकिल सुपर स्पलेंडर के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद चोरी की मो0 साइकिल सुपर स्पलेंडर की बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2)/317 (4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई ।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे मैने एक हफ्ते पहले जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से चुराया था और तभी से इससे चल रहा था। गाड़ी बेंचने के ही फिराक में था कि आज आप लोगों ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। मैं मोटर साइकिल चोरी आदि छोटे मोटे अपराध करके अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मो॰ साहिल पुत्र मो0 समीम निवासी सराय सुहागा फरीदीपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप,का0 शिवम कुमार,का0 रंजीत यादव, का0 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पप्पू वर्मा को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 महेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-   64 (1)) बीएनएस थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पप्पू वर्मा पुत्र हरिनाथ वर्मा निवासी ग्राम हदिरीही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.पप्पू वर्मा पुत्र हरिनाथ वर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम हदिरीही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 महेश यादव व म0उ0नि0 ज्योति सिंह थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस की बड़ी सफलता—
02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलैक्स बरामद

प्रतापगढ़।
वादी निवासी पूरे झाऊलाल का पुरवा, मूल निवासी मानिकपुर, लाइट लगाने का कार्य करता है। दिनांक 08.10.2025 को वादी ने अपनी मोटरसाइकिल HF डीलक्स नं० UP72 BC 1581 को ग्राम सुलतानपुर में खड़ी कर मेले में लाइट लगाने गया था। रात्रि लगभग 2 बजे लौटने पर बाइक गायब मिली। तलाश करने पर किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी हुई कि उसकी बाइक को आकाश केशरवानी व उसके भाई को सुल्तानपुर से सभागंज बाजार की ओर जाते देखा गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 212/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का रामदेव गौतम व का0 मनीष मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 212/25 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. आकाश केशरवानी पुत्र पप्पूकेशरवानी नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 02. अतुल केशरवानी पुत्र पप्पू केशरवानी नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलैक्स के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार के पास के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलैक्स की बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तें ने बताया कि दोनो लोग बताये कि ये गाडी हमारे रिश्तेदार की है हम लोग जरूरी काम से इस गाडी को लेकर आये है । कडाई से पूछताछ की गयी तो दोनो व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हमने दिनांक 08.10.2025 को चुराया था । आज हम दोनो भाई इस गाडी को बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगो ने हमको पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. आकाश केशरवानी पुत्र पप्पूकेशरवानी नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।
02. अतुल केशरवानी पुत्र पप्पू केशरवानी नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का रामदेव गौतम व का0 मनीष मौर्या थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मार-पीट के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।
दिनांक 10.10.2025 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में 01 व्यक्ति गांव में महिला मित्र से मिलने आया था, आक्रोशित होकर गावं के कुछ लोगों द्वारा मार-पीट कर घायल कर दिया गया । इस संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 239/2025 धारा 191(2),333,109(1),352,351 बीएनएस बनाम 11 नामजद व 20-25 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना जेठवारा के व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह का0 मनोज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों के दौरान मु0अ0सं0 239/2025 धारा 191(2),333,109(1),352,351 बीएनएस से संबंधित 05 अभियुक्तों, 01. आदित्य पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 18 वर्ष, 02. विजय बहादुर पुत्र भगौती प्रसाद उम्र करीब 24 वर्ष, 03. दीपक कुमार पुत्र संतराम उम्र करीब 37 वर्ष, 04.उदय बहादुर उर्फ कसान उम्र करीब 40 वर्ष, 05. बृजेश कुमार पटेल पुत्र लालजी पटेल उम्र करीब 33 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगदीशपुर दुर्गा मंदिर तालाब के पीछे से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों द्वारा वादी को चोर समझकर मारापीटा गया था और जिस सम्बन्ध में थाना जेठवारा में मुकदमा भी लिखवा दिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. आदित्य पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 18 वर्ष,
02. विजय बहादुर पुत्र भगौती प्रसाद उम्र करीब 24 वर्ष,
03. दीपक कुमार पुत्र संतराम उम्र करीब 37 वर्ष,
04. उदय बहादुर उर्फ कसान उम्र करीब 40 वर्ष,
05. बृजेश कुमार पटेल पुत्र लालजी पटेल उम्र करीब 33 वर्ष समस्त नि० गण ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह का0 मनोज यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – 1 लाईसेंसी राइफल व कारतूस बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस टीम उ0नि0 राकेश चौरसिया, उ0नि0 शैलेन्द्र गुप्ता तथा हमराह का0 दिलीप कुमार ने कस्बा चौकी, देखभाल क्षेत्र एवं पावर हाउस तिराहा में भ्रमण और संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान विशेष कार्रवाई की गई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- सूचना मिली कि ग्राम राजापुर खरहर में मुकदमा लिखाने को लेकर विवाद हो रहा है। मौके पर दो पक्षों प्रथम पक्ष अभिनव दूबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम राजापुर (खरहर), थाना रानीगंज, व दूसरी पक्ष उर्मिला देवी के बीच कहासुनी हो रही थी। उर्मिला देवी शांत हो गईं, लेकिन अभिनव दूबे पुलिस के समझाने पर भी शांत नहीं हुए और शांति भंग करने पर आमादा थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अपराध रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने अभिनव दूबे को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया ।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से निम्नलिखित लाईसेंसी शस्त्र व कारतूस बरामद हुए-
1 अदद लाईसेंसी राइफल NP बोर (नं0 AB-00-7095, 315 बोर)
2 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)
3 अदद खोखा कारतूस (315 बोर)
4 अदद लाइसेंस सं0 514/2022

बरामदशुदा शस्त्र और कारतूस के आधार पर थाना रानीगंज में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 365/25, धारा 353(1)(B)/288 बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्रतापगढ़ पुलिस- पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, जन सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत कार्र

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही — अवैध पटाखा निर्माण का भंडाफोड़, दो अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में, थाना बाघराय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से पटाखा निर्माण / भण्डारण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

थाना बाघराय पुलिस टीम- उ0नि0 जय सुशील मिश्रा मय हमराह उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सचिन ठैनुआ, का0 विजय यादव, का0 शशांक राय द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग, एवं विस्फोटक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान ग्राम औतारपुर में दबिश के दौरान पुलिस टीम द्वारा मौके से 02 अभियुक्तों 01- अफसर पुत्र स्व0 मुख्तार, निवासी ग्राम औतारपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 02 मो0 वकील उर्फ सोनू पुत्र मकबूल, निवासी ग्राम औतारपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री व पटाखा निर्माण सामग्री बरामद की गई –

1- कोयला पाउडर – 10 किग्रा (एक बोरी में)
2- पटाखा सुतली – 20 किग्रा (एक सफेद बोरी में)
3- सिंघाड़ा पटाखा – 200 पैकेट (दो प्लास्टिक की बोरियों में)
4- पोटास – 2.5 किग्रा (एक सफेद रंगीन बोरी में)
5- पटाखा कागज – 80 किग्रा (चार बोरियों में)
6- एल्युमिनियम छिलन – 1 किग्रा (काली प्लास्टिक में)

7- सोरा – 7 किग्रा (पीली बोरी में)
8- चकरी पटाखा – 150 पीस (एक रंगीन बोरी में)

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 216/25, धारा 125 बीएनएस व 5/9(ख)(1)(क) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-
मो0 वकील उर्फ सोनू पुत्र मकबूल, निवासी ग्राम औतारपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है –
1-मु0अ0सं0 146/2016, धारा 323/427/452/504/506 भादवि, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस का संकल्प
"सुरक्षित दीपावली – सुरक्षित प्रतापगढ़"